न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी :– (आर.ए.एस.)
अनुवान हंसराज बनाम मोहरसिंह आदि
दावा खाता विभाजन हस्ब दफा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 5 उपनिवेशन अधिनियम
वाद संख्या 285 वर्ष 2022
निर्णय दिनांक :–22.08.2024

1. हंसराज पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू

– वादी –

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
2. ज्याना पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
3. तुलछी पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
4. बजरंगलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
5. मोहनलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
6. रामकरण पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
7. सरबती पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
9. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टैट बैंक शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
10. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ग्राभीण शाखा साहवा

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

1. **श्री पवन कुमार योगी एडवोकेट वास्ते वादीगण**
2. **श्री मोहित शर्मा एडवोकेट एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1**
3. **श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 4 ता 6**

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

–: निर्णय :–

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख. नं. 390 तादादी 0.9357 हैक्टेयर, खं. नं. 96 तादादी 13.4543 हैक्टेयर कुल तादादी 14.3900 हैक्टेयर वाके रोही मौजा पूनसीसर तहसील तारानगर में वादी 1/4 हिस्सा का तथा शेष हिस्से के सह खातेदार व सह कृषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 हैं। यही विवादित कृषिभूमि है। वादी अपना हिस्सा काश्त भी करता है लेकिन खाता मुश्तरफ (संयुक्त) होने से पक्षकारान के बीच भूमि काश्त के समय आसा पासा व किस्म को लेकर विवाद रहता है जिससे वादी अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नहीं कर पाता है इसलिए वादी अपने हिस्से का खाता अलग से विभाजित करवाकर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवाना चाहता है जिसके लिये यह खाता विभाजन का वाद पेश किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा तथा अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वाद में वर्णित भूमि का खाता अलग से विभाजित करवा कर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवा देवें तो वे दिनांक 10.01.2022 को बमुकाम पूनसीसर में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादी को विवादित कृषिभूमि में सहखातेदार होने से प्राप्त है। आदि–आदि।

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर कृषि भूमि ख. नं. 390 तादादी 0.9357 हैक्टेयर, खं. नं. 96 तादादी 13.4543 हैक्टेयर कुल तादादी 14.3900 हैक्टेयर वाके रोही मौजा पूनसीसर

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

तहसील तारानगर में से अपने 1/4 हिस्सा भूमि का खाता अलग से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

दावा पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का वकालतनामा श्री मोहित शर्मा अधिवक्ता ने तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का वकालतनामा श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता ने पेश किया। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 7 ता 10 सम्मन तामिल होने बाद भी अनुपस्थित रहे अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। दावा में बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 02.03.2022 से प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा तहसीलदार तारानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.03.2022 की पालना में तहसीलदार तारानगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस शामिल पत्रावली किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हक हिस्सा तक की भूमि तक का होना है। इस पर कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। अतः वकील उभयपक्ष के निवेदन पर यह है दावा बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि ख. नं. 390 तादादी 0.9357 हैक्टेयर, खं. नं. 96 तादादी 13.4543 हैक्टेयर कुल तादादी 14.3900 हैक्टेयर वाके रोही मौजा पूनसीसर, तहसील तारानगर का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है कि :–

(1) कृषि भूमि रोही ग्राम पुनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू के ख. नं. 390 तादादी 0.9357 हैक्टेयर तथा 96 मीन में तादादी 06.2594 हैक्टेयर कुल तादादी 07.1951 जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग नीला से दर्शाया गया है, वादी हंसराज पुत्र नन्दराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी पुनसीसर तहसील तारानगर के हक हिस्सा में बहिस्सा बराबर रहेगी।

(2). शेष भूमि अन्य पक्षकारों/खातेदारों के हक में उनके जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

नोट:- आदेश दिनांक 10/01/25 द्वारा निर्णय के दूसरे पृष्ठ के बिन्दु संख्या 01 में ख.नं. 96मी. की तादादी 6.2594 के स्थान पर 6.2593 तथा कुल तादादी 7.9151 के स्थान पर 7.9150 पढ़ा जावे का आदेश पारित किया गया है।

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू